बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संoसंo–भवन–11/विविध (मुoजाँच आयुक्त निदेशालय)–02/2025............4012(अ)........../

प्रेषक,

शिव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक– 4/5/26

विषयः– **अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाहियों के अद्यतन स्थिति का मासिक अनुश्रवण किया जाता है।

मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय द्वारा उक्त मासिक अनुश्रवण में विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में संचालित अनुशासनिक कार्यवाहियों (विभागीय कार्यवाहियों) के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि आपके अधीन संचालित अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित सूचना संलग्न विहित प्रपत्र–1, 2, 3 एवं 4 में भरकर प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय को प्रत्येक माह अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके।

अनु०ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

F:\Sumit Kumar Vatsa\2023\Prasant Sir\Prarup Nigrani

प्रपत्र–1

…गीय कार्यवाही) के संचालित मामलों में जाँच पदाधिकारी के द्वारा नोडल पदाधिकारी को समर्पित किया जाने वाला मासिक प्रतिवेदन

(माह के प्रथम सप्ताह में प्रतिवेदित किया जाय)

प्रतिवेदित माह : ....

जाँच पदाधिकारी का नाम :..............................., पदनाम :...............................

जाँच के कुल संचालित मामलों की संख्या : .... प्रतिवेदित माह में निष्पादित/समर्पित जाँच प्रतिवेदन की संख्या : ....

क्र. सं.	आरोपित पदाधिकारी का नाम/पदनाम/विभाग	वि.का संख्या/वर्ष संकल्प ज्ञापांक/तिथि	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का नाम/पदनाम	ट्रैप/ननट्रैप	क्या मामला नियम–18(1) के तहत पुनः आगे जाँच/पुनर्जांच का है?	क्या मामला न्यायालय वाद से आच्छादित है, यदि हाँ तो निर्धारित समय–सीमा एवं समय सीमा समाप्ति की तिथि	जाँच पदाधिकारी को प्राप्त होने की तिथि	प्रथम सुनवाई की तिथि	प्रतिवेदित माह में सुनवाई की तिथियाँ (तिथिवार अंकित हो)	प्रतिवेदित माह तक सुनवाई की कुल तिथियाँ (संख्या)	सुनवाई की तिथियों को संबंधित पक्षों (IO, CO, PO, DR) की अनुपस्थिति (तिथिवार) (संलग्न प्रपत्र–2 में अंकित किया जाये) (नीचे नोट भी देखें)।	मामलें में गवाहों की कुल संख्या/परीक्षित एवं प्रतिपरीक्षित गवाहों की संख्या	क्या दस्तावेजों का आदान–प्रदान हो चुका है?	विभागीय कार्यवाही का स्तर (पार्श्व पृष्ठ पर अंकित सक्रुतावली के अनुसार 01–10 तक कोड अंकित किया जाय।)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

हस्ताक्षर

जाँच पदाधिकारी का नाम :

पदनाम :

तिथि :

(नोट :– IO- संचालन पदाधिकारी, CO - आरोपित पदाधिकारी PO - प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, DR - विभागीय प्रतिनिधि)

प्रपत्र–2

मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र के कॉलम–11 के लिए

सुनवाई की तिथियों की उपस्थिति की विवरणी

आरोपित पदाधिकारी का नाम : ....

पदनाम : ....

विभागीय कार्यवाही संख्या : ....

क्र.सं.	सुनवाई की तिथि	संबंधित पक्षों की उपस्थिति				अभ्युक्ति
		IO	CO	PO	DR	

IO - सचालन पदाधिकारी

CO - आरोपित पदाधिकारी

PO - प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी

DR - विभागीय प्रतिनिधि

जाँच आयुक्त / पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :

(80)

प्रपत्र-3

जांच (विभागीय कार्यवाही) के संचालित मामलों का मासिक प्रतिवेदन

(माह के प्रथम सप्ताह में प्रतिवेदित किया जाय)

प्रतिवेदित माह : ....

नोडल पदाधिकारी का नाम : ....

पदनाम : ....

विभाग/प्रमंडल/जिला का नाम : ....

जाँच के कुल संचालित मामलों की संख्या: .... प्रतिवेदित माह में समर्पित जाँच प्रतिवेदन की संख्या: ....

क्र. सं.	जांच पदाधिकारी का नाम/पदनाम	आरोपित पदाधिकारी का नाम/पदनाम/ विभाग	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वि.का. संख्या/वर्ष संकल्प ज्ञापांक/तिथि	ट्रैप/ननट्रैप	क्या मामला नियम-18(1) के तहत पुनः आगे जाँच/पुनःजाँच का है?	क्या मामला न्यायालय वाद से आच्छादित है, यदि हाँ तो निर्धारित समय-सीमा एवं समय सीमा समाप्ति की तिथि	जाँच पदाधिकारी को प्राप्त होने की तिथि	प्रथम सुनवाई की तिथि	प्रतिवेदित माह में सुनवाई की तिथियाँ (तिथिवार अंकित हो)	प्रतिवेदित माह तक सुनवाई की कुल तिथियों की संख्या	सुनवाई की तिथियों को संबंधित पक्षों (IO, CO, PO, DR) की अनुपस्थिति (तिथिवार) (संलग्न प्रपत्र-2 में अंकित किया जाये)	मामले में गवाहों की कुल संख्या/परीक्षित एवं प्रतिपरीक्षित गवाहों की संख्या	विभागीय कार्यवाही का स्तर (पार पृष्ठ पर अंकित संकेतवाली के अनुसार 01-10 तक कोड अंकित किया जाय।)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(नोडल पदाधिकारी का नाम/पदनाम)

तिथि

(नोट : IO-संचालन पदाधिकारी, CO-आरोपित पदाधिकारी, PO-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, DR-विभागीय प्रतिनिधि)

प्रपत्र-4

जांच (विभागीय कार्यवाही) के संचालित मामलों का मासिक प्रतिवेदन

(माह के प्रथम सप्ताह में प्रतिवेदित किया जाय)

जांच आयुक्त का नाम : ....

पदनाम : ....

विभाग का नाम : ....

प्रतिवेदित माह : ....

जाँच के कुल संचालित मामलों की संख्याः .... प्रतिवेदित माह में समर्पित जाँच प्रतिवेदन की संख्याः- ....

क्र सं.	आरोपित पदाधिकारी का नाम/पदनाम/ विभाग	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वि.का. संख्या/वर्ष संकल्प ज्ञापांक/तिथि	ट्रैप/ननट्रैप	क्या मामला नियम-18(1) के तहत पुनः आगे जाँच/पुनःजाँच का है?	क्या मामला न्यायालय वाद से आच्छादित है, यदि हाँ तो निर्धारित समय-सीमा एवं समय सीमा समाप्ति की तिथि	जाँच पदाधिकारी को प्राप्त होने की तिथि	प्रथम सुनवाई की तिथि	प्रतिवेदित माह में सुनवाई की तिथियाँ (तिथिवार अंकित हो)	प्रतिवेदित माह तक सुनवाई की कुल तिथियों की संख्या	सुनवाई की तिथियों को संबंधित पक्षों (IO, CO, PO, DR) की अनुपस्थिति (तिथिवार) (संलग्न प्रपत्र-2 में अंकित किया जाये)	मामले में गवाहों की कुल संख्या/परीक्षित एवं प्रतिपरीक्षित गवाहों की संख्या	विभागीय कार्यवाही का स्तर (पार पृष्ठ पर अंकित संकेतवाली के अनुसार 01-10 तक कोड अंकित किया जाय।)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

जांच आयुक्त का हस्ताक्षर

तिथि

(नोट : IO-संचालन पदाधिकारी, CO-आरोपित पदाधिकारी, PO-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, DR-विभागीय प्रतिनिधि)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

7

सं0सं0–भवन–11 / आरोप (मुजफ्फरपुर)–19 / 2026.........2714 (अ0)........./

प्रेषक,

शिव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

श्री अमित कुमार सिंह,
S/o-श्री धुरंधर प्रसाद सिंह,
राहुल नगर, ब्रहम्पुर,
पो0– M.I.T.
थाना–ब्रहम्पुर
जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–842003,
मो0 नं0–9931966586
Email ID<techstudyand99@gamil.com>

पटना, दिनांक– 19/3/26

विषयः– श्री रविचन्द्र, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध समर्पित परिवाद पत्र से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–शून्य दिनांक–17.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री रविचन्द्र, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध निविदा निष्पादन में अनियमितता बरतने, सरकारी राजस्व का क्षति पहुँचाने तथा गलत ढ़ंग से सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के आशय का शपथ–पत्र भी समर्पित किया गया है।

आपके द्वारा समर्पित परिवाद पत्र में कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध लगाए गए अरोपों की जाँच करने हेतु साक्ष्यों / अभिलेखों की आवश्यकता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि समर्पित परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों से संबंधित आपके पास उपलब्ध साक्ष्य / अभिलेख एक पक्ष (15 दिनों) के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि मामले पर नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

अनु0ः–परिवाद की प्रति।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 19/3/26

(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।